भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †756

सोमवार, 12 दिसम्बर, 2022/21 अग्रहायण, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटकों की सुरक्षा

†756. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि विभिन्न राज्यों में कई पर्यटक केन्द्रों/स्थलों पर सुरक्षा और संरक्षा उपायों को उचित तरीके से कार्यान्वित किया/अपनाया नहीं जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में राज्यों को कोई दिशा-निर्देश जारी किया गया है/जारी करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में देश के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर मोरबी के सस्पेंशन ब्रिज जैसी दुर्घटनाएं न होना सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ड.) : पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा मूल रूप से राज्य सरकार का विषय है । तथापि पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों की सुरक्षा संबंधी चिंता से भली-भांति परिचित है और मंत्रालय ने पर्यटकों के लिए सुरक्षित परिवेश मुहैया कराने के लिए सभी संभव उपाय किए हैं।

ii. पिछले कुछ समय में पर्यटन मंत्रालय ने यह मामला सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) प्रशासनों के समक्ष उठाया है और पर्यटकों के लिए सुरक्षित परिवेश मुहैया कराए जाने की बात को दोहराया है । किसी पर्यटक के साथ कोई अप्रिय घटना होने पर उस स्थिति से निपटने और प्रभावित पर्यटकों को संतोषजनक समाधान दिए जाने के लिए कानून एवं व्यवस्था की एक सुदृढ़ प्रणाली होनी चाहिए ।

iii. पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस की तैनाती की है ।

iv. पर्यटक पुलिस की आवश्यकता को समझने और इस प्रकार सृजित पर्यटक पुलिस को पर्यटकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) द्वारा एक अध्ययन किया गया था । पर्यटन मंत्रालय ने ''राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पर्यटक पुलिस के कार्य और उत्कृष्ट कार्यप्रथाओं का अभिलेखन'' नामक इस अध्ययन रिपोर्ट की प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को इस अनुरोध के साथ भेजी कि अपने-अपने राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में पुलिस की एक अलग इकाई तैयार करें और उन्हें पर्यटकों की आवश्यकताओं से अवगत भी कराया जाए ।

v. पर्यटन मंत्रालय यह मामला राज्य सरकारों के समक्ष रखने के लिए गृह मंत्रालय का सहयोग लेता रहा है ।

vi. एक व्यापक कार्यढ़ांचे के विकास के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने पर्यटक पुलिस योजना के संबंध में एक अध्ययन करवाया था । इस रिपोर्ट में विस्तृत रूप से विश्लेषण किया गया है और इसके अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वित होने के बाद पर्यटक सुरक्षा हेतु एक कार्यढ़ांचा बनाया जा सकेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अखिल भारतीय स्तर पर समान पर्यटक पुलिस योजना के कार्यान्वयन के लक्ष्य से दिनांक 19 अक्तूबर, 2022 को नई दिल्ली में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के पुलिस महानिदेशकों/ महानिरीक्षकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था ।

vii. पर्यटन मंत्रालय ने भारत में यात्रा से संबंधित सूचना और भारत में यात्रा के दौरान संकट में फंसे पर्यटकों को समुचित मार्गदर्शन के रूप में सहायता सेवा प्रदान करने के लिए घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं (जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटैलियन, पुर्तगाली, रूसी, चीनी, जापानी कोरियाई, अरबी), हिन्दी, अंग्रेजी सहित 12 भाषाओं में टॉल फ्री नम्बर 1800111363 या लघु कोड 1363 पर 24x7 बहुभाषी पर्यटक इन्फो-हेल्पलाइन शुरू की है ।

viii. पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के पर्यटन विभागों सहित सभी हितधारकों के साथ 'सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन हेतु आचार संहिता' को अपनाया है जो पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों विशेष रूप से महिलाओं तथा बच्चों के लिए गरिमा, सुरक्षा तथा उत्पीड़न से मुक्ति जैसे मूलभूत अधिकारों के लिए के साथ पर्यटन कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए दिशा-निर्देशों का एक संग्रह है ।

*****